प्रेस विज्ञप्ति - मिलान (19) (35) (17/A)

बाल-अधिकार हेतु 1 जुलाई गोलीकाण्ड पीड़ित

बाल-मोर्चा

प्रति,

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,

दुर्ग [म०प्र०]।

महोदय जी,

हमें अखबारों में यह पढ़कर भारी धक्का लगा कि 1 जुलाई की बर्बर गोलीकाण्ड घटना की जांच आयोग के समक्ष पूर्व एस. पी. सुरेन्द्र सिंह ने बयान दिया कि घटनास्थल पर मात्र 3 बच्चे थे।

सर्वविदित है कि घटना के दिन सैकड़ों की संख्या में बच्चे भी रेल की पटरी पर मौजूद थे। हम समस्त आवेदक बच्चे भी रेल की पटरी पर मौजूद थे एवम् पूर्व एस. पी. सुरेन्द्र सिंह ने जांच-आयोग के समक्ष सरासर झूठी गवाही दी है। हमारी छोटी बुद्धि के अनुसार यदि कोई सरकारी अफसर झूठी गवाही या झूठा शपथ-पत्र देता है, तो उसे जेल की सजा एवम् नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एस.पी. एवम् डी. एस. पी. को इसी आरोप में जेल भेजा था।

अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सरकार के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में झूठी गवाही देने वाले पूर्व एस. पी. सुरेन्द्र सिंह को जेल भिजवाने के लिये जरूरी कदम उठायें।

आज पूरे देश में बाल-अधिकारों के लिये व्यापक चर्चा है। स्वयं आपने बाल-अधिकारों के लिये दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करने का श्रेय पाया है। हम चाहते हैं कि ऐसे नेक कार्य के लिये सिर्फ बातें बनाने से ही नहीं, बल्कि वास्तव में कुछ करके स्वयं सही मायने में श्रेय के अधिकारी बनें।

हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि हमारे इस शिकायत की एक प्रति आप गोलीकांड जांच-आयोग को भी उपलब्ध करायें ताकि वे सत्य की तह तक पहुंचने में उन्हें मदद हो सके।

हमारे पालकों के रोजी-रोटी का अधिकार छिनने से एवम् हवाला के मददगार बी. आर. जैन के धन-बल से प्रभावित हो कर पुलिस-प्रशासन द्वारा दमन-चक्र चलाने से हम बालक-बालों के अधिकारों पर सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ

[........2 पर.]

(29)

है । आज सुबह ही टी.वी. पर समस्त राजनैतिक पार्टियों के विभिन्न नेताओं एवम् स्वामी अग्निवेश एवम् न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर जैसी हस्तियों द्वारा बाल-अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के वक्तव्य दिखाए गए हैं । इसके बावजूद यदि शासन 1 जुलाई गोलीकांड से पीड़ित हम बालकों एवम् हमारे पालकों के अधिकार नहीं दिलाता है एवम् दोषियों को सजा नहीं दिलाता है, तो यही माना जायेगा कि माँ-बाप के विरुद्ध तो शासन बाल-अधिकार की बात कर सकता है, लेकिन हवाला के प्रभावशाली तत्वों द्वारा बाल-अधिकारों के हनन के खिलाफ न्याय दिलाने की क्षमता नहीं रखता ।

हम हैं

समस्त बालक गण

1. रमशीला
2. सरोज
3. अनिता
4. केशर
5. [illegible]
6. रुक्मणी
7. अंजनी
8. [illegible]
9. सतरूपा
10. उरवासी
11. त्रिवेनी
12. मैना
13. कुन्ती
14. मंजु
15. सकीता
16.
17. संतोषी
18. पूर्णिमा
19. लक्ष्मी-साहू
20. सोहागा
21. लोमीन
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. हरवंसपी
26. कुसांती
27. रजेश्वरी
28. भुनेश्वरी
29. लीलेश्वरी
30. संगीता
31. दुपती सिन्हा
32. उषा
33. सुनीता
34.
35. हिरावन
36. [illegible]
37. घनीसाहो
38. [illegible]
39. उदय राम
40. खोमन लाल
41. [illegible]
42. [illegible]
43. [illegible]
44.
45. फुलेश्वर
46. virendra
47. सन्त
48. सुखु
49. सन्तोष

(50) [illegible]
51 सतीश
52 गणपत
53 कालिका
54 त्रिलोकचन्द
55 पवन
56 पूरन
57 रामानुज
58 कुलदीप कुमार मिश्रा
59 ~~[illegible]~~
60 गंगाप्रसाद
61 त्रिभुवन [illegible]
62 सन्त कुमार
63 तिलक
64 संजय
65 राजेन्द्र
66 रमेश
67 ठाकुर राम
68 रोहित कुमार
69 चक्रधर साहू
70 गौरकुमार
71 राजेन्द्र कुमार
72 संजय
73 गुराम
74 रामकुमार
75 राम [illegible]
76 बजरंग राम [illegible]
77 [illegible] वर्मा
78 रमेश कुमार